न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	**पिंकी मीना, आर.जे.एस.**
नम्बरी फौजदारी संख्या	169/2015
CIS NO.	169/2015
CNR NO.	RJCH020016952015
अंतर्गत धारा	138 Negotiable Instruments ACT

राजेश कुमार पुत्र श्री माणकराम उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 1, रतननगर तहसील एवं जिला चूरू (राज.)

–परिवादी

बनाम

नमित ओझा पुत्र श्री रमाकांत ओझा निवासी वार्ड संख्या 41 चूरू तहसील एवं जिला चूरू (राज.)

–अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धाराः 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881

उपस्थितः–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र सिहाग, वास्ते परिवादी।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री विजय सिंह शेखावत, वास्ते अभियुक्त।

Date of Presentation Complaint In the court	18.05.2015
Date of Cognizance	07.11.2015
Date of Framing Charges	14.08.2023
Date of Commencement evidence	23.02.2026
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	24.02.2026
Date of Defence evidence	NIL
Arguments heard on	12.03.2026
Date of the Judgement	12.03.2026

निर्णय

दिनांक–12.03.2026

1. परिवादी द्वारा सर्वप्रथम हस्तगत प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 18.05.2015 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू के आदेश क्रमांकः 1(जी)(2)स्था./2022/4198 दिनांक 09.06.2022 की अनुपालना में इस न्यायालय में वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 18.07.2022 को प्राप्त हुआ। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर हस्तगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी व अभियुक्त में अच्छी जान पहचान होने से दिनांक 20.02.2015 को चूरू में अभियुक्त ने एक लाख रूपए एक माह के लिए परिवादी से उधार लिए तथा एक माह पश्चात परिवादी द्वारा अभियुक्त से अपने एक लाख रूपए की मांग करने पर अभियुक्त ने दिनांक 23.03.2015 को एक चैक् सं. 000016 दिनांकित 23.03.2015 अपने खाता बैंक ऑफ इंडिया शाखा चूरू राशि 1,00,000/– रूपए का अपने हस्ताक्षर कर दिया। उक्त चैक को परिवादी ने भुगतान हेतु अपने बैंक में पेश किया लेकिन अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक "funds insufficient" होने के कारण दिनांक 26.03.2015 व पुनः दिनांक 09.042015 को अनादरित होकर परिवादी को वापस लौटा दिया गया, जो परिवादी को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक कानूनी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट दिनांक 23.04.2015 को अभियुक्त को उसके निवास स्थान के पते पर भेजा जो अभियुक्त के घर पर नहीं मिलने े कारण इस अंकन के साथ कि ''बार–बार जाने पर भी प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिला'' दिनांक 30.04.2015 को वापस लौटा दिया। उक्त नोटिस की समयावधि के पश्चात भी अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। जिससे न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाकर चैक में वर्णित राशि मय हर्जा खर्चा परिवादी को दिलवाई जावे तथा अभियुक्त को दण्डित किया जावे।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद, शपथपत्र एवं संलग्न दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त नमित ओझा के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त को धारा 138 एन.आई. एक्ट का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा

चाही। परिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षी की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गई –

क्रमांक संख्या	गवाह का नाम	गवाह संख्या
1.	राजेश कुमार	पी.डब्ल्यू. 1

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गएः–

क्रमांक संख्या	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	मूल चैक	प्रदर्श –1
2.	रिटर्न मीमो दिनांक 09.04.2015	प्रदर्श –2
3.	लीगल नोटिस	प्रदर्श –3
4.	लीगल नोटिस भेजने की रजिस्ट्री रसीद	प्रदर्श –4
5.	परिवाद	प्रदर्श –5
6.	परिवाद के समर्थन में पेश शपथ पत्र	प्रदर्श –6
7.	नोटिस वापिस मय एडी रसीद	प्रदर्श –7 व 8

5. अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई पैसा नहीं लिया। वह परिवादी को जानता नहीं है, ना ही उसने चैक जारी किया। उसके हस्ताक्षर से एवं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

6. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परिवादी ने प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य अखंडनीय रही है। उसने अपने पक्ष में अधिनियम की धारा–139 की उपधारणा का सृजन किया है। उक्त उपधारणा को खंडित करने बाबत सबूत का भार अभियुक्त पर था, जिसका उसके द्वारा निर्वहन नहीं किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित किया है। अंत में

अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधि अनुसार दण्ड व चैक की दुगुनी राशि से दण्डित करने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपर्युक्त तर्को का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध जो भी मामला प्रस्तुत किया जाए, उसे संदेह से परे साबित करने का दायित्व परिवादी पर रहता है। परंतु परिवादी द्वारा पेश साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं हुआ है। अभियुक्त द्वारा कोई पैसा नहीं लिया। अभियुक्त परिवादी को जानता नहीं है, ना ही उसने चैक जारी किया। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. न्यायालय के द्वारा परिवादी पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु है–

(क) क्या अभियुक्त ने ऋण अथवा अन्य दायित्व के पूर्णतः या आंशिक संदाय हेतु परिवादी को स्वयं के खाते से एक चैक संख्या 000016 राशि 1,00,000/– रूपए दिनांक 23.03.2015 का जारी किया है ?

(ख) क्या परिवादी द्वारा उक्त चैक लिखे जाने की तारीख से 3 माह अथवा चैक की वैधता अवधि जो भी पूर्ण हो, के भीतर उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा खाते में ''अपर्याप्त राशि'' होने के कारण अथवा पहले से ही उस खाते में से किन्हीं अन्य व्यक्तियों को संदाय करने का करार कर दिए जाने के कारण'' की टिप्पणी के आधार पर अनादरित कर लौटा दिया गया है ?

(ग) क्या परिवादी द्वारा बैंक से चैक के अनादरण की सूचना प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अभियुक्त को लिखित में सूचना देकर उक्त चैक में वर्णित राशि की मांग किए जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर परिवादी को राशि का संदाय नहीं किया गया है ?

(घ) यदि हां तो अभियुक्त किस सजा से दण्डनीय है ?

9. चैक अनादरण के अपराध के गठन हेतु धारा 138 एन.आई. एक्ट में वर्णित समस्त आवश्यक शर्तों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है। सर्वप्रथम उक्त विचारणीय बिंदु (क) के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि गवाह पी.डब्ल्यू–1 राजेश कुमार ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र इस आशय का

पेश किया कि परिवादी व अभियुक्त की अच्छी जान पहचान चली आ रही होने के कारण अभियुक्त ने परिवादी से दिनांक 20.02.2015 को चूरू में 1,00,000/– रूपए एक माह के लिए उधार लिए थे। उसके पश्चात एक माह बाद परिवादी द्वारा उधार रूपयों की मांग करने पर अभियुक्त ने दिनांक 23.03.2015 को एक चैक संख्या 000016 बैंक ऑफ इंडिया चूरू का राशि 1,00,000/– रूपए का दिनांक 23.03.2015 का अपने हस्ताक्षर करके भुगतान हेतु परिवादी को सौंपा। परिवादी ने उक्त चैक प्रदर्श–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया है।

चैक प्रदर्श–1 का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि उक्त चैक अभियुक्त नमित ओझा द्वारा परिवादी को जारी किया गया है, उक्त चैक पर अभियुक्त नमित ओझा के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। परंतु अभियुक्त नमित ओझा ने अपने धारा 313 सी.आर.पी.सी. के बयानों में यह कथन किया है कि वह परिवादी को नहीं जानता है आैर ना ही उसने परिवादी से किसी तरह का कोई पैसा उधार लिया है। इस स्तर पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रदर्श–6 का अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट दर्शित होता है कि परिवादी ने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त नमित ओझा को अच्छी तरह से जानता है और उसी अच्छी जान–पहचान के कारण उसने अभियुक्त को एक लाख रूपए उधार दिए हैं।

प्रकरण के इस स्तर पर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी से की गई जिरह महत्वपूर्ण है। उक्त जिरह के दौरान परिवादी ने कथन किया है कि उसकी जानकारी नमित ओझा के पिता रमाकांत ओझा से थी, परिवादी नमित के घर एक–दो बार उसके पिता के साथ गया था। परिवादी ने कथन किया कि नमित कहां रहता है व क्या काम करता है, उसे पता नहीं है। उसने नमित को ब्याज पर रूपए नहीं दिए थे बल्कि जान पहचान के कारण दिए थे। परिवादी ने यह भी कथन किया कि नमित के पिता की मृत्यु कब हुयी, वह नहीं बता सकता।

दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का बचाव रहा कि परिवादी यह साबित करने में असफल रहा है कि वह वर्ष 2015 में अभियुक्त को एक लाख रूपए उधार देने की वित्तीय क्षमता रखता हो तथा परिवादी ने अपनी वित्तीय क्षमता के संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर उसे साबित नहीं किया है। अतः परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा अंतर्गत धारा 139 एन.आई. एक्ट का खंडन होता है।

धारा 139 एन.आई. एक्ट के अनुसार ''Section 139 raise a rebuttable presumption that the cheque was issued for legally enforceable debt & other liability, it relieving the Complainant of initial Proof of the underlying transaction. After Post presentation the onus shifted on the accused to rebut such presumption via probable defence, not on the Complainant to prove debt beyond basic execution & dishonour."

दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने परिवादी की आर्थिक स्थिति, परिवादी की हैसियत को चुनौती देते हुए यह प्रतिरक्षा ली कि वह अभियुक्त को एक लाख रूपए की रकम उधार पर देने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। इसके विपरीत परिवादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को एक लाख रूपए की राशि बतौर ऋण नकद उधार दी गयी थी, जिसे परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पूर्णतया प्रमाणित किया गया। इस संबंध में स्थापित विधिक स्थिति है कि धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों में स्वतः परिवादी पर अपनी वित्तीय सक्षमता को स्थपित करने का कोई दायित्व नहीं होता, परंतु ऐसे मामले जिनमें परिवादी द्वारा ऋण नकद रूप से दिया गया है, उन मामलों में अभियुक्त परिवादी की वित्तीय सक्षमता पर सवाल उठाकर अपना संभावित बचाव प्रस्तुत कर सकता है तथा चैक अनादरण मामलों में परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा अंतर्गत धारा 139 को खंडित करने की हद तक प्रयोग कर सकता है। ऐसा बचाव प्रस्तुत किए जाने पर अपनी अपनी वित्तीय सक्षमता को साबित करने का भार परिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत ''**Basalingappa Vs. Mudibasappa 2019 5 SCC 418**" सुसंगत है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि ''A complainant in a cheque bounce case is bound to explain his financial capacity when the same is questioned by the accused by leading evidence to that effect. In case complainant is unable to reasonably explain the source, the presumption under section 139 can be said to have been rebutted.''

यही मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत "**APS Forex Services Pvt Ltd vs Shakti International Fashion Linkers & others AIR 2020 SC 945"** में भी प्रतिपादित किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय ने यह

सिद्धांत दिया कि ''In this present case, the accused never questioned the financial capacity of the complainant. We are of the view that whenever the accused has questioned the financial capacity of the complainant in support of his probable defence, despite the presumption under section 139 of the Negotiable Instruments Act about the presumption of legally enforceable debt and such a presumption is rebuttable Thereafter, the onus shifts again on the complainant to prove his financial capacity and at the stage complainant is required to lead the evidence to prove his financial capacity, more particularly when it is a case of giving loan by cash on thereafter assuance of a cheque."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों को माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत ''**Sunitha vs Sheela Antony 2020 SCC Ker 1750**" में व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया कि ''In my view, the crux of the decisions referred to above is the following:– The complainant has no obligation, in all cases under section. 138 of the Act, to prove his financial capacity, but when the case of complainant is that he lent money to the accused by cash and that the accused issued the cheque in discharge of liability and if the accused challenges the financial capacity of the complainant to advance the money, despite the presumption under section 139 of the Act, the complainant has the obligation the prove his financial capacity or the source of the money allegedly lent by him to the accused, the complainant has to no initial burden to prove his financial capacity or the source of the money. The obligation in that regard would arise only when his capacity or capability to advance the money is challenged by the accused.''

इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू–1 राजेश कुमार से दौराने जिरह उसकी आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उक्त प्रश्नों का उत्तर देते समय उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह कथन किया कि ''मैं पहले लुधियाना में

कोकाकोला कंपनी में काम करता था। कोकाकोला कंपनी में मुझे 2800–3200 रूपए मिलते थे।'' अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने जिरह व दौराने बहस मुख्य रूप से परिवादी की आर्थिक सामर्थ्य पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए कथन किया है कि परिवादी इतनी बड़ी राशि को ऋण स्वरूप अदा करने में असमर्थ था। परिवादी के जिरह के दौरान किए गए कथन से न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि परिवादी ने कोकाकोला कंपनी में नौकरी की थी और जब नमित ओझा को पैसे उसने उधार दिए, तब वह कोई काम नहीं करता था, उसने नौकरी छोड़ दी थी। उसके पश्चात उसने भाई की दुकान पर काम किया, वह साल या महीना उसे याद नहीं है। परिवादी ने अपनी पत्नी के संबंध में कथन किया कि उसकी औरत आंगनबाड़ी में काम करती थी। मेरी औरत को 3–4 हजार रूपए मिलते थे। परिवादी की ओर से उसकी पत्नी की आय व स्व्यं की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अपनी जिरह में यह भी खुलासा नहीं किया कि उसने पैसे एक लाख रूपए कहां से दिए थे। साथ ही उक्त राशि अभियुक्त को उधार देने के संबंध में कोई भी स्वतंत्र साक्षी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जो परिवादी की कहानी की ताईद करते हों।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **"K.Prakashan vs P.K. Surenderan (2008) SC 258"** में माननीय न्यायालय ने यह मत अभिनिर्धारित किया गया कि ''If a huge amount of money is advanced as a loan that the person who has purportedly advanced the loan must also show the solvency to the extent of the loan either through the bank account or through means in the present case the complainant has miserably failed to show his solvency to advance huge loan amount of 2,50,000."

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों की पालना में परिवादी चैक में वर्णित राशि को ऋण के रूप में देने की अपनी आर्थिक स्थिति को दर्शाने में असफल रहा है। अभियुक्त द्वारा परिवादी की वित्तीय सक्षमता पर सवाल उठाए जाने पर परिवादी का यह दायित्व था कि वह न्यायालय के समक्ष ऐसी सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करें जिसस यह प्रमाणित हो सके कि सुसंगत दिवस को परिवादी अभियुक्त को एक लाख रूपए देने में वित्तीय रूप से सक्षम हो, परंतु ऐसी कोई साक्ष्य परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

नहीं की गयी है। परिवादी चाहता तो उक्त तथ्य को प्रमाणित करने हेतु वह अपनी बैंक स्टेटमेंट व अन्य संबंधित दस्तावेज पेश कर यह साबित कर सकता था कि अभियुक्त को पैसे उधार देते समय उसके पास पर्याप्त निधि उपलब्ध थी, परंतु परिवादी द्वारा उक्त तथाकथित 1,00,000/– रूपए की राशि अभियुक्त को ऋण स्वरूप दिए जाने के स्त्रोत के संबंध में अभिलेख पर कुछ भी पेश नहीं किया गया है जो परिवादी के संस्करण को संदेहास्पद बनाती है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद, शपथ पत्र व साक्ष्य में ऐसा कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है जिससे उसके पास अभियुक्त को ऋण स्वरूप उधार दी गई राशि का स्त्रोत क्या था अथवा परिवादी द्वारा उक्त ऋण स्वरूप राशि की व्यवस्था कहां से की गयी थी। सामान्य तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी को पैसे उधार देता है तो इस संबंध में उसके साथ लिखापढ़ी करता है, परंतु अभियुक्त को 1,00,000/– रूपए की राशि उधार देते समय परिवादी द्वारा उक्त उधार दी गयी राशि बाबत कोई रसीद, एग्रीमेंट अथवा प्रोमेजरी नोट निष्पादित नहीं करवाए गए हैं और ना ही कोई लिखापढ़ी की गयी। ऐसी किसी लिखापढ़ी अथवा दस्तावेज के अभाव में परिवादी द्वारा कथित लेन–देन संव्यवहार की वास्तविकता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। परिवादी का यह कथन भी माने जाने योग्य नहीं है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से 1,00,000/– की राशि उधार ली हो तथा उक्त उधार ली गई राशि की अदायगी पेटे प्रदर्श–1 सुपुर्द किया गया हो। दौराने जिरह परिवादी द्वारा यह कथन किया गया कि उसकी अभियुक्त से जान पहचान केवल औपचारिक तौर पर उसके पिता के जरिए थी, इस प्रकार आर्थिक सक्षमता के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का संपूर्ण अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि परिवादी हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को उधार दी गयी 1,00,000/– रूपए की राशि के संबंध में स्वयं की आर्थिक सक्षमता व आय के स्त्रोत के तथ्यों को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी की वित्तीय हैसियत के संबंध में उठाए गए उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में परिवादी अभियुक्त के विरूद्ध अपनी आर्थिक दायित्व के प्रारंभिक भार को उन्मोचित करने में तथा अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध करवाए जाने के लिए परिवादी को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

न्यायिक दृष्टांत ''**M/S Laxmi Dyechem vs State Of Gujarat & Ors. (2012) Vol. 13 SCC 375"** में अवधारित किया है कि ''Therefore, "If the accused is able to establish a probable defence which creates doubt about the existence of a legally enforceable debt or liability, the prosecution can fail. The accused can rely on the materials submitted by the complainant in order to raise such a defence and it is inconceivable that in some cases the accused may not need to adduce the evidence of his/her own."

हस्तगत प्रकरण में परिवादी न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्थापित करने में असफल रहा कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से एक लाख रूपए की राशि उधार ली हो तथा उक्त उधार ली गई राशि की अदायगी पेटे प्रदर्श–1 सुपुर्द किया गया हो। परिवादी द्वारा दौराने विचारण प्रस्तुत साक्ष्य में कई गंभीर एवं विरोधाभास निकलकर आए हैं। परिवादी, अभियुक्त के उसके प्रति विधिक दायित्व को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, इसलिए अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने से अभियुक्त नमित ओझा को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– <u>आदेश</u> –

10. अतः अभियुक्त **नमित ओझा पुत्र श्री रमाकांत ओझा निवासी वार्ड संख्या 41 चूरू तहसील एवं जिला चूरू (राज.)** को अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त 10,000/– रूपये के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे, जो निर्णय की दिनांक से छः माह की अवधि के लिए प्रवर्त रहेंगे।

(**पिंकी मीना**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू

11. उक्त निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**पिंकी मीना**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू